

कार्यालय अति० जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी  
पंचायत समिति, बाडमेर

क्रमांक/क. प्रा. शि. अ. /पं. स. बाड/प्रा. शि. /संस्था/

दिनांक:

--:० कार्यालय आदेश ०:--

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1912 दिनांक -

14-1-03 के द्वारा निम्नलिखित अध्यापक/अध्यापिका का स्थानान्तरण

राज्य हित में किये जाने पर इनके द्वारा कार्यग्रहण काल का उपभोग नहीं

करने के एवज में राजस्थान सिविल सेवा कृषि भार ग्रहण काल नियम 1981

के नियम 5 §4 के अनुसार उनके नाम के सामने अंकितानुसार उपार्जित अवकाश

इनके अवकाश खाते में जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	नाम अध्यापिका/अध्यापक	कार्यमुक्त दिनांक	कार्यग्रहण दिनांक	जोड़े गये उपार्जित अवकाश दिनों में
11	जैन्दु खकुर	20/1/03	21/1/03	10 दि०
12				
13				
14				
15				

लक्ष्मी  
जोड़ित जिला शिक्षा अधिकारी  
पंचायत समिति, बाडमेर  
प्रा. शि. अ. /पं. स. बाड/प्रा. शि. /संस्था/